

Seventeenth Loksabha

an&gt;

Title: Issue regarding development plans in Maharashtra.

**श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर) :** धन्यवाद सभापति महोदय । मैं केन्द्र और राज्य सरकार से जुड़े हुई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में एक मुद्दा रखना चाहता हूँ । मैं बहुत ही कम समय में अपनी बात पूरी करूँगा । आपको पता है कि चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, पब्लिक के हित में जो भी डेवलपमेंट का काम होता है, उसका डेवलपमेंट प्लान फाइनल होने के बाद ही करते हैं । डेवलपमेंट प्लान फाइनल होने से पहले सारे ऑब्जेक्शन्स, सजेशन्स संबंधित लोगों से लेकर ही किए जाते हैं । उसके बावजूद यह पाया गया है कि जब भी काम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या कॉरपोरेशन के माध्यम से शुरू होता है, तो कुछ एनजीओज द्वारा ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से ऐसे कामों को रोकने का प्रयास बार-बार किया जाता है । इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर के काम में बहुत रुकावट आती है और सामान्य लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है ।

अतः मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि एक बार डेवलपमेंट प्लान फाइनल होने के बाद अगर काम शुरू हो जाता है, तो उस पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होनी चाहिए और न ही किसी को कोर्ट में जाना चाहिए । इस प्रकार का प्रावधान आने वाले दिनों में केन्द्र सरकार के माध्यम से हो, यह मेरा निवेदन है । धन्यवाद ।